बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

दिनांक–15.06.2026 को संपन्न साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

सभी मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु निर्धारित उद्व्यय, अद्यतन आवंटन तथा व्यय की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में निम्न निदेश दिये गये है :-

2. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को सहयोग पोर्टल से ऐसे मामलें जो अन्य विभागों से संबंधित है, को चिन्हित कर तीन दिनों के अंदर उन्हें सूची से हटवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संयुक्त सचिव अभियंत्रण)/
अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2/3/बाढ़)

3. संबंधित मुख्य अभियंता परिक्षेत्र में शेष आवंटन का नियमानुकूल व्यय शीघ्र सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता)

4. सभी मुख्य अभियंता को Pole Shifting की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए शीघ्र ही इस प्रक्रिया को पूर्ण करने का पुनः निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता,
अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2/3/बाढ़)

5. SNA SPARSH अंतर्गत M-CAD के योजनाओं में परामर्शी के लंबित राशि का शीघ्र ही नियमानुकूल भुगतान करने का निदेश दिया गया। साथ ही परामर्शी से पुनरीक्षित DDR प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, सिवान/ मोतिहारी)

6. दुर्गावती जलाशय योजना अंतर्गत महालेखाकार कार्यालय द्वारा वांछित Observations का अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक–19.06.2026 तक विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, डिहरी)

7. पुनपुन सिंचाई योजना अंतर्गत CWC द्वारा उठाये गये Observation का संबंधित परामर्शी के साथ संपर्क स्थापित कर शीघ्र ही अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ ही योजना में संलग्न संबंधित परामर्शी के लंबित राशि का शीघ्र ही नियमानुकूल भुगतान करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, औरंगाबाद/
अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3)

8. विधि पदाधिकारी द्वारा प्रदर्शित किया गया कि तीन सप्ताह के स्थिति के अनुसार दिनांक–31.05.2026 तक कुल 58 मामलों में, दिनांक–06.06.2026 तक कुल 54 मामलों में विभागीय स्तर से प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर किया जाना लंबित रहा।

वर्तमान सप्ताह दिनांक–13.06.2026 तक कुल 53 मामलों में विभागीय स्तर से प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर किया जाना लंबित है। वर्तमान सप्ताह में कुल 02 विभिन्न प्रकार के वाद विभाग के विरुद्ध दायर हुये है। एवं वर्तमान सप्ताह में कुल 03 वादों में प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर किया गया है।

वर्तमान सप्ताह में लंबित 53 वादों में से निर्धारित मानकानुसार कुल 11 वाद नयें है, 18 वाद मुख्य अभियंताओं के स्तर से लंबित है एवं विभागीय स्तर पर कुल 24 वाद लंबित है।

सभी प्रकार के लंबित वादों को यथाशीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– सभी संबंधित मुख्य अभियंता)

9. क्षेत्र निरीक्षण का प्रतिवेदन Drishti App पर अपलोड करने की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी अभियंताओं द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड नहीं किया जा रहा है। इस क्रम में सभी अभियंताओं को अपने प्रक्षेत्र में सतत् निगरानी करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन Drishti App पर अपलोड करने एवं संबंधित मुख्य अभियंताओं द्वारा इसकी समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता)

10. विभाग अंतर्गत योजनाओं के तैयार किये जा रहे विस्तृत योजना प्रतिवेदन एवं प्राक्कलन को ध्यान से तैयार किये जाने का निदेश दिया गया जिससे इस योजनाओं में विचलन/ परिवर्तन की आवश्यकता न्यूनतम हो। तैयार विस्तृत योजना प्रतिवेदन एवं प्राक्कलन को सभी स्तर पर जाँच करते हुए आगे बढ़ाने का निदेश दिया गया। साथ ही परामर्शियों द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत योजना प्रतिवेदन की जाँच सभी स्तरों पर सुनिश्चित किये जाने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता,
अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2/3/बाढ़)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

ह0/–
(चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक–1/PMC/योजना/20/2024 पटना, दिनांक–.........................

प्रतिलिपि :– विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ।

ह0/–
सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक–1/PMC/योजना/20/2024 पटना, दिनांक–.........................

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, को सादर सूचनार्थ।

ह0/–
सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक–1/PMC/योजना/20/2024 पटना, दिनांक–.........................

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (जल संसाधन विभाग) मंत्री, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक–1/PMC/योजना/20/2024 497 पटना, दिनांक–18.6.24

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक–1/PMC/योजना/20/2024 497 पटना, दिनांक–18.6.24

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/ सिंचाई सृजन/ बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक–1/PMC/योजना/20/2024 497 पटना, दिनांक–18.6.24

प्रतिलिपि :– श्री मनोज रमण, तकनीकी परामर्शी/ विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव/ सभी मुख्य अभियंता/ श्री रवीन्द्र कुमार शंकर, नीतिगत मामलों के सलाहकार/श्री ईश्वर चन्द्र ठाकुर, अध्यक्ष, वाल्मी शासी पर्षद के परामर्शी/संयुक्त सचिव, अभियंत्रण/संयुक्त सचिव, प्रबंधन/ प्रधान सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/4/बाढ़/सिंचाई/ स्थानिक अभियंता, सम्पर्क कार्यालय, नई दिल्ली/ सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी अवर सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक– 1/PMC/योजना/20/2024 497 पटना, दिनांक–18.6.24

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को संबंधितों को ई–मेल करने एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार